रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 840] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 2000/पौष 5, 1922
No. 840] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 2000/PAUSA 5, 1922

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2000

आयकर

का.आ. 1159(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (19अअ) के स्पष्टीकरण 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विनिर्दिष्ट करती है कि किसी केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के अधीन गठित या स्थापित किया गया कोई पृथक्कृत या पुनर्निर्मित प्राधिकरण या निकाय, ऐसी सत्ता है जो विद्युत शक्ति के उत्पादन या पारेषण या वितरण में या इन सभी क्रियाकलापों में लगी हुई है, वहां ऐसे पृथक्करण या पुनर्निर्माण को निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर, अविलयन समझा जाएगा, अर्थात् :—

(i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से पृथक्करण या पुनर्निर्माण प्रवृत्त किया गया है; और

(ii) पृथक्कृत या पुनर्निर्मित प्राधिकरण या निकाय की आस्तियां, एक या अधिक पारिणामिक कंपनियों को चालू कारबार के आधार पर अन्तरित की गई हैं।

[अधिसूचना सं. 11576/फा. सं. 149/133/2000-टी पी एल(भाग)]

डी. करूणाकर राव, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2000

INCOME-TAX

S.O. 1159(E).—In exercise of the powers conferred under Explanation 4 to clause (19AA) of section 2 of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies that where the split up or the reconstructed authority or body, constituted or established under a Central, State or Provincial Act, is an entity engaged in the generation or transmission or distribution of electrical power, or in all of these activities, such splitting up or reconstruction shall be deemed to be a demerger if the following conditions are fulfilled, namely :—

(i) splitting up or reconstruction is effected through a notification in the Official Gazette by the Central or the State Government; and

(ii) assets of the split up or reconstructed authority or body, are transferred to one or more resulting companies on a going concern basis.

[Notification No. 11576/F.No. 149/133/2000-TPL (Pt.)]

D. KARUNAKARA RAO, Under Secy.

3483 GI/2000

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.